संख्या-75M /नौ-4-14-10ज/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक- 13 मार्च, 2014

विषयः नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायत के कार्मिकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के ऐसे नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों, जहां पर अधिशासी अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान में कठिनाई आ रही है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों के कार्मिकों का वेतन भुगतान के लिये चेक पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में सम्प्रति में अधिशासी अधिकारी तैनात नहीं हैं, ऐसे स्थानीय निकायों के कार्मिकों के केवल वेतन मद के चेक पर हस्ताक्षर हेतु अधिशासी अधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को अधिकृत किया जाता है।

3- उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कार्मिकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनश्चित की जाय।

भवदीय,

13/3/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-75M(1)/नौ-4-14-10ज/14 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषितः-

1. निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के आदेशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।